राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ2(11सी)ग्रावि/नरेगा/08–09 जयपुर, दिनांक: 10 JUN 2010

जिला कलेक्टर एंव जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत संविदा पदों पर अनुबन्धित कार्मिकों के संबन्ध में।

संदर्भः कार्मिक (क–5) विभाग का परिपत्र दिनांक 05.05.2010

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कियान्वयन हेतु जिला /पंचायत समिति/ग्राम पंचायत स्तर पर संविदा आधार पर पदों का सृजन किया गया है। इन पदों पर नियोजन अनुबन्ध के आधार पर आपके स्तर से किया जाना है। पदों पर नियोजन के संबन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी आरक्षण के नियमों की पालना भी सुनिश्चित की जानी है।

विभाग के ध्यान में लाया गया है कि संविदा आधार पर सृजित इन पदों पर नियोजन के विज्ञापन हेतु पदों का स्पष्ट वर्गीकरण नहीं किया जाता है, मुख्य रूप से निःशक्तजनों के संबन्ध में। आयुक्त निःशक्तजन आयोग द्वारा भी इस संबन्ध में निर्देश दिये गये है कि पदों पर नियोजन के संबन्ध में निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम–1995 के प्रावधानों की पालना नहीं की जा रही है।

इस संबन्ध में निर्देश प्रदान किये जाते है कि योजनान्तर्गत पदों के संविदा नियोजन में निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पदों की गणना की जाकर नियमानुसार निःशक्तजनों का संविदा नियोजन किया जावें। इसके अतिरिक्त जिन पदों पर निःशक्तजनों का कोटा पूर्ण नहीं हुआ है, उन पदों के रिक्त पदों में बैकलॉग की गणना कर निःशक्तजनों का कोटा पूर्ण किया जावें। इस संबन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा जारी संदर्भित पत्र की प्रति भी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

भवदीय
8/6/10
(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ई.जी.एस

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

राजस्थान सरकार
कार्मिक(क–5)विभाग

सं0प0 9(7)कार्मिक/क–5/2007 जयपुर, दिनांक 05/05/2010

1. समस्त शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव/शासन विशिष्ठ सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एंव जिला कलेक्टर्स)।

–: परिपत्र :–

कार्मिक(क–2)विभाग की अधिसूचना सं0एफ.14(18)कार्मिक/क–2/96 दिनांक 22.09.2000 के द्वारा गठित राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम 2000 में निःशक्तजनों हेतु सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों में निर्धारित 3 प्रतिशत आरक्षण की क्रियान्विति हेतु कार्मिक(क–2)विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 03 फरवरी, 2004 (प्रति संलग्न) के द्वारा निःशक्तजन व्यक्तियों को देय निर्धारित 3 प्रतिशत आरक्षण के सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया है कि कार्मिक(क–2)विभाग के आदेश सं0 प0 2(1)कार्मिक/क–2/85 दिनांक 09.07.85 के द्वारा निःशक्तजनों हेतु जो रोस्टर बिन्दु निर्धारित किये गये थे वे यथावत है तथा उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नही किया गया है, अर्थात, रोस्टर का बिन्दु सं0 34 अंधता या निम्न (कम) दृष्टि निःशक्त हेतु बिन्दु सं0 67 श्रवण शक्ति की क्षीणता के निःशक्त हेतु एंव बिन्दु सं0 100 गति विषयक निःशक्तता या मस्तिष्क सम्बन्धी फाजिल (सेरिबल पालसी) हेतु आरक्षित रहेगें।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि विभिन्न विभागाध्यक्ष एंव नियुक्तिकर्त्ता अधिकारियों द्वारा उनके नियन्त्रणाधीन सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों हेतु रोस्टर रजिस्टर के संधारण नही किये जा रहे है जिससे निःशक्तजनों हेतु निर्धारित बिन्दुओं के अनुसार भर्ती छुटने की सम्भावना बनी रहती है तथा गणना करते समय निःशक्तजनों के लिये आरक्षित पदों की गणना नही की जा रही है।

अतः समस्त विभागाध्यक्ष एंव नियुक्तिकर्त्ता अधिकारियों को विनिर्दिष्ट किया जाता है कि वे अपने यहॉ रोस्टर रजिस्टर का संधारण सुनिश्चित करावें एंव जब भी सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों की गणना की जावे, तब निःशक्तजन हेतु निर्धारित रोस्टर बिन्दुओं के अनुसार आरक्षित पदों की नियमानुसार गणना कर उन्हें भरने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1–पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
2–पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवाएँ अपील अधिकरण, जयपुर।
3–सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4–सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार

कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक : प.14 (18)कार्मिक/क–2/96 पार्ट– III

जयपुर, दिनांक : 3 फरवरी 2001

1. समस्त शासन प्रमुख सचिव/ शासन सचिव/शासन विशिष्ट सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स)।
3. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ।

परिपत्र

भारत सरकार के ही अनुरूप राज्य सरकार द्वारा भी राजकीय सेवाओं में निःशक्तजनों को आरक्षण प्रदान करने के लिये राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.14(18)कार्मिक/क–2/96 दिनांक 22.9.2000 द्वारा जारी किये गये हैं। इन नियमों के अनुसार निःशक्तजनों हेतु रिक्तियों का तीन प्रतिशत आरक्षण उन्हीं पदों पर उपलब्ध था, जिनका विवरण इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची–I एवं II में दिया गया था। लेकिन अधिसूचना संख्या एफ. 14(18)कार्मिक/क–2/96 दिनांक 10.10.2002 द्वारा रिक्तियों का तीन प्रतिशत आरक्षण निःशक्तजनों हेतु उन सभी पदों पर कर दिया गया जिन पर निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा–32 के अधीन भारत सरकार द्वारा प्रत्येक निःशक्तता के लिये समय-समय पर परिलक्षित पदों पर निःशक्त व्यक्तियों या निःशक्त व्यक्तियों के वर्ग के लिये आरक्षित किया गया है जिसका प्रत्येक में एक प्रतिशत निम्नलिखित से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित है :–

(I) अंधता या निम्न (कम) दृष्टि,

(II) श्रवण शक्ति की क्षीणता,

(III) गति विषयक निःशक्तता या मस्तिष्क सम्बन्धी फालिज (सेरिब्रल पालसी)।

यह आरक्षण क्षैतिज आरक्षण माना गया है तथा नियमों में यह भी व्यवस्था है कि जहां राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद का नाम भारत सरकार के पद से भिन्न है या राज्य सरकार का कोई भी पद भारत सरकार के किसी भी विभाग में विद्यमान नहीं है तो प्रकरण राज्य सरकार का समतुल्य पद परिलक्षित करने हेतु इन नियमों के नियम–5 के अधीन गठित समिति को निर्दिष्ट किया जायेगा। अतः समस्त विभागाध्यक्षों एवं नियुक्ति प्राधिकारियों को विनिर्दिष्ट किया जाता है कि वे चयन/ नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ करते समय निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा–32 के अधीन भारत सरकार द्वारा प्रत्येक निःशक्तता के लिये समय-समय पर परिलक्षित पदों के अनुरूप रिक्तियों का 3 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने की पालना प्रभावपूर्ण तरीके से करें ताकि निःशक्त व्यक्तियों को उनको प्रदत्त सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके।

निःशक्तजनों हेतु कार्मिक (क–2) विभाग के आदेश संख्या प. 2 (1) कार्मिक/ क–2/85 दिनांक [illegible] के द्वारा जो रोस्टर बिन्दु निर्धारित किये गये थे वे यथावत हैं उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है अर्थात् रोस्टर का बिन्दु सं. 34 अंधता या निम्न (कम) दृष्टि निःशक्त हेतु, बिन्दु सं. 67 श्रवण शक्ति की क्षीणता के निःशक्त हेतु एवं बिन्दु सं. 100 गति विषयक निःशक्तता या मस्तिष्क सम्बन्धी फालिज (सेरिब्रल पालसी) हेतु आरक्षित रहेंगे।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि निःशक्तजनों हेतु निर्धारित रोस्टर बिन्दु क्षैतिज आरक्षण है अर्थात् निःशक्तजनों को दिया जाने वाला आरक्षण विभिन्न वर्गों हेतु निर्धारित आरक्षण में ही समाहित होगा। उदाहरणार्थ चयनित/ नियुक्त निःशक्त व्यक्ति यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य

2/04

पिछड़े वर्ग का है तो उसे इन वर्गों हेतु आरक्षित क्रमशः 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत एवं 21 प्रतिशत पदों के प्रति गिना जायेगा। इसके विपरीत यदि चयनित/ नियुक्त निःशक्त व्यक्ति अनारक्षित श्रेणी (सामान्य वर्ग) का है तो उसे अनारक्षित 51 प्रतिशत पदों के प्रति गिना जायेगा जैसा कि इस विभाग के परिपत्र संख्या 7 (2) कार्मिक/ क–2/ 93–12/94 दिनांक 5.5.94 द्वारा पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है।

कुछ प्रकरण राज्य सरकार के ध्यान में लाये गये हैं कि कतिपय विभागाध्यक्षों जिनमें विश्वविद्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान विद्युत प्रसारण एवं वितरण निगम एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम आदि स्वायत्तशासी संस्थाएं शामिल हैं, ने सेवा में रहते हुए किसी राजसेवक के निःशक्तता प्राप्त कर लेने पर उसे सेवा से हटा दिया जो पूर्णतया एक अनुचित कार्यवाही है। राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के नियम–9 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति राजकीय सेवा में रहते हुए निःशक्त हो जाता है तो उसे राजकीय सेवा से हटाया नहीं जायेगा बल्कि वह इन नियमों के नियम–4 के अधीन आरक्षण प्राप्त कर सकेगा तथा उसे किसी अन्य वैकल्पिक पद पर, जिसकी वह योग्यता रखता हो, राज्य सरकार की अनुमति से आमेलित या समायोजित किया जायेगा।

समस्त विभागाध्यक्षों एवं नियुक्ति प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त निर्देशों की पालना प्रभावपूर्ण व उचित रूप से करेंगे।

(मुकेश कुमार शर्मा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/ जोधपुर।
2. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवाएं अपील अधिकरण, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. रजिस्ट्रार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
3. रजिस्ट्रार, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
4. रजिस्ट्रार, महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
5. रजिस्ट्रार, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर/ उदयपुर।
7. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर।
10. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।

शासन उप सचिव